राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य, विधान सभा, निजी कोलोनाइजर्स द्वारा विकसित कॉलोनियों में विद्युत शुल्क में की गई अत्यधिक वृद्धि को वापिस लेने के संबंध में ऊर्जा राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री बनवारीलाल सिंघल, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2016-2017 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. राजस्व, वक्फ, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कार्मिक, नगरीय विकास एवं आवासन तथा विधि एवं विधिक कार्य विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 21वां प्रतिवेदन;
2. देवस्थान, ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारण्टी योजना, कृषि, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, खान, ऊर्जा, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 22वां प्रतिवेदन;
3. शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सहकारिता तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 23वां प्रतिवेदन;
4. खान, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्मिक, उद्योग, ऊर्जा, विधि एवं विधिक कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, वित्त तथा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 24वां प्रतिवेदन;
5. अल्पसंख्यक मामलात, आयुर्वेद, उद्योग, उपनिवेशन, ऊर्जा, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खान, ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारण्टी योजना तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 25वां प्रतिवेदन;

जारी..2..

6. आयुर्वेद, उपनिवेशन, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारण्टी योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन, विधि एवं विधिक कार्य, सार्वजनिक निर्माण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 26वां प्रतिवेदन;

7. उच्च शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, वन, सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 27वां प्रतिवेदन;

8. अल्पसंख्यक मामलात, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, आयोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योग, उपनिवेशन, ऊर्जा, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, कृषि, कार्मिक, कारागार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारण्टी योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, वित्त, शिक्षा तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 28वां प्रतिवेदन;

9. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, पंचायती राज, प्रशासनिक सुधार, परिवहन, पशुपालन, भू-जल, भ्रष्टाचार निरोधक, युवा मामले एवं खेल, वन, विधि एवं विधिक कार्य, श्रम एवं रोजगार, सार्वजनिक निर्माण तथा देवस्थान विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 29वां प्रतिवेदन;

10. अल्पसंख्यक मामलात, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, आबकारी, ऊर्जा, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, कार्मिक, कारागार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना), गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मत्स्य, युवा मामले एवं खेल, वन, विधि एवं विधिक कार्य, श्रम एवं रोजगार, सूचना एवं जन सम्पर्क, सम्पदा, संस्कृत शिक्षा, आयुर्वेद, आयोजना, देवस्थान, वित्त, शिक्षा एवं सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 30वां प्रतिवेदन; एवं

11. चिकित्सा शिक्षा, जन अभाव अभियोग निराकरण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, डेयरी, देवस्थान, नागरिक उड्डयन, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भाषा, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, वित्त, शिक्षा, सैनिक कल्याण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 31वां प्रतिवेदन।

जारी..3..

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	28	-	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम
2.	49	-	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

5. आधे घण्टे की चर्चा

श्री मानिक चन्द सुराना एवं श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा, 'मूंडवा (नागौर) में सीमेंट प्लान्ट स्थापित करने के लिये एम.ओ.यू.' विषयक् तारांकित प्रश्न संख्या 6(1092/उद्योग) का उत्तर, जो दिनांक 27 फरवरी, 2017 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 25 मार्च, 2017